

134

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर कॅम्प सज्जैन

प्रकरण क्रमांक 110 निगरानी R-1301-II/2010

मोहनलाल पिता रामेश्वरजी, आयु 50 वर्ष  
व्यवसाय-कृषि, निवासी-ग्राम चन्दूपुरा तेहसील बागली  
जिला देवास (म. प्र.)

आवेदक

विरुद्ध

श्री एच.सी. जैन अधिवक्ता  
द्वारा आज दिनांक 31-8-10  
को कॅम्प सज्जैन पर पेश किया।

31-8-10  
कै.प्र. 31-8-10

मध्यप्रदेश शासन तर्फे तेहसीलदार  
बागली जिला देवास (म. प्र.)

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. सू-राजस्व  
सहिता प्रदत्त आदेश प्रकरण क्रमांक 116/2004-05 निगरानी  
दिनांकित 14.06.2010 न्यायालय अपर आयुक्त महोदय,  
सज्जैन संग्राम सज्जैन से असंतुष्ट होकर

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1301-पीबीआर/2010

जिला देवास


स्थान तथा दिनांक


कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अभिभाषकों  
आदि के हस्ताक्षर

27-7-2017

आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 14.6.2010 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के आदेश से स्पष्ट है कि व्यवस्थापन शासन की रोक होने के बावजूद तहसीलदार द्वारा आवेदक के पिता के पक्ष में प्रश्नाधीन भूमि का व्यवस्थापन किया गया है, अतः अपर कलेक्टर द्वारा व्यवस्थापन निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता नहीं की गई है और अपर कलेक्टर के आदेश की पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा विधिसंगत कार्यवाही की गई है । अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।



  
( मनोज गोयल )  
अध्यक्ष